फर्द अहकाम

राजस्व –पत्रावली

न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 179/2025 किस्म मुकदमा वाद

उदयलाल बनाम खीमी वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
29.1.2026	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित है। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से श्री सुरज प्रकाश शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा व राजीनामा दिनांक 16.1.2026 को पेश किया जो शामिल मिसल हो । अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित है । अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद को निर्णित कर डिक्री करने का निवेदन किया । अधिवक्ता पक्षकारान् के राजीनामा के आधार पर ग्राम कडिया पटवार हल्का कडिया तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50 कुल किता–5 कुल रकबा 0.0486 हैक्टेयर व ग्राम उंठडो की भागल पटवार हल्का कडिया तहसील कुम्भलगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 240 किता–14 रकबा 8.9586 हैक्टेयर, खाता संख्या 367 किता–38 रकबा 2.0790 हैक्टेयर, भूमियो मे से प्रतिवादी संख्या 1 खीमी पुत्री केसा जाति भोई सा.कडिया का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है व इसकी जगह वादी उदयलाल पिता केसाराम माली निवासी कडिया का नाम दर्ज करने की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । डिक्री की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे । तहसीलदार कुम्भलगढ पालना करा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे ।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । (साक्षी पुरी) सहायक कलक्टर(एस.डी.एम.) कुम्भलगढ जिला राजसमन्द जिला–राजसमन्द	